उत्पीड़न

उत्पीड़न की प्रथा अति प्राचीन समय से भारत में दूर तक फैली हुई और सर्वाधिक है। बिना किसी अवरोध के और निर्विरोध, ये पूरी तौर पर एक 'सामान्य' और 'न्यायसंगत' प्रथा बन चुकी है। अपराधों की तहकीकात, अपराधों की स्वीकारोक्ति करवाने और विभिन्न कानूनी संस्थाओं द्वारा व्यक्तियों को सज़ा देने के नाम पर, यातना सिर्फ अभियुक्त को ही नहीं दी जाती, बल्कि वास्तविक आवेदकों को, षिकायतकर्ताओं और सूचना देनेवालों को भी दी जाती है जो कि बहुत ही कठोर, अमानवीय और अपमानजनक प्रवृत्ति की होती है और उस इंसान की प्रतिश्ठा के लिए बेहद अपमानदायक होती है। हिरासत में बलात्कार, छेड़छाड़ और विभिन्न प्रकार के यौन उत्पीड़नों के द्वारा महिलाओं और लड़कियों का भी उत्पीड़न किया जाता है।

आष्चर्य की बात ये है कि, उत्पीड़न के अधिकतर मामलों में, समाज के गरीब और कमज़ोर तबकों को ही षिकार बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त, अधिकतर उत्पीड़न के मामले प्रकाष में ही नहीं आते क्योंकि पीड़ित और अधिक अभियोजन से डरते हैं और खामोषी से सहते रहते हैं। सही मायने में,

भारत में, कभी-कभार ही दोशियों को सज़ा दी जाती है और इस प्रक्रिया में अव्यवस्था और अराजकता को बढ़ावा मिलता है। इससे भारत में उत्पीड़न की व्यापकता को सहायता मिलती है। ऐसे हालात में, भारत के लिए ये बहुत आवष्यक हो जाता है कि उत्पीड़न से लड़ने के लिए उसके पास एक विषेश कानून हो। दुर्भाग्य से, ना तो भारत के पास कोई ऐसा कानून है ना ही उसने उत्पीड़न के खिलाफ संयुक्त राश्ट्र के औपचारिक समझौते को अनुमोदित किया है। राश्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा भारत सरकार को लगातार मनाने की कोषिष की जाती रही है ताकि वो उत्पीड़न के खिलाफ औपचारिक समझौते को अनुमोदित करें जिसके तदानुसार एक नया घरेलू कानून लाया जा सके। पर आज की तारीख तक वो कोषिष बिना किसी सफलता के जारी है। हांलाकि, किसी विषिश्ट कानून के अभाव में, भारत के उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों द्वारा उत्पीड़न की भर्त्सना की है जिससे उत्पीड़न का विरोध करने वाले मामलों में एक राश्ट्रीय स्मषति का निर्माण करने में मदद मिली है। ऐसी परिस्थितियों में, ये बहुत आवष्यक हो जाता है कि उत्पीड़न के खिलाफ औपचारिक समझौते को अनुमोदित किया जाये और उत्पीड़न पर एक खास कानून हो।

1. mRihMu D;k g\

उत्पीड़न किसी खास मकसद के लिए राज्य प्राधिकरणों द्वारा या उनकी सहमति से इरादतन दिया जाने वाला तीव्र मानसिक या षारीरिक कश्ट या पीड़ा है। उत्पीड़न का मकसद पीड़ित व्यक्ति के व्यक्तित्व को तोड़ देना होता है और कई बार इसका इस्तेमाल सज़ा देने के लिए, जानकारी या स्वीकारोक्ति हासिल करने के लिए, किसी व्यक्ति से बदला लेने के लिए या किसी आबादी के बीच में डर और दहषत फैलाने के लिए किया जाता है। अन्य किस्म के दुर्व्यवहारों से उत्पीड़न को पीड़ा की बहुत अधिक मात्रा के सम्मिलित होने के कारण ही अलग किया जाता है। इसमें कई प्रकार की पीड़ा सम्मिलित होती है, षारीरिक और मनोवैज्ञानिक दानों, जो कि विष्वभर में करीब करीब सामान्य है।

2. mRihMu d fofHkUu Lo#i D;k g\

षारीरिक उत्पीड़न के अधिकतर समान तरीकों में मारना, बिजली के झटके देना, फैलाव करवाना, डुबकी लगवाना, ष्वासावरोधन, जलाना, बलात्कार और यौन आक्रमण सम्मिलित हैं। ये आवष्यक है कि दुर्व्यवहार के मनोवैज्ञानिक स्वरुपों को न भूला जाये जिनका कि पीड़ितों पर सबसे अधिक समय तक प्रभाव रहता है। मनोवैज्ञानिक उत्पीड़न के सामान्य तरीकों में सम्मिलित हैंः अलगाव, धमकियाँ, अपमान, बनावटी फाँसियाँ,

बनावटी अंगोच्छेदन और औरों के उत्पीड़न का प्रत्यक्षदर्षी बनाना।

इनके अलावा, 1) पुलिस प्राधिकरण उत्पीड़न के षिकार लोगों की षिकायत नहीं लेता है; 2) गैर न्यायिक हत्याएँ; 3) बिना उचित पुनर्निवास के पुलिस बल का प्रयोग करके ज़बरदस्ती बेदखली करवाना; 4) उत्पीड़न के षिकार वहाँ लगातार धमकी के साये में रहते हैं जहाँ कोई पुलिस कार्रवाई नहीं होती; 5) अंधाधुंध लाठियाँ बरसाना; 6) अंधाधुंध गोली चलाना; 7) न्यायाधीष के सामने उपस्थित किए बिना 24 घंटे से अधिक पुलिस हिरासत में कैद रखना; 8) अस्वास्थ्यकर और अयोग्य हवालात; 9) औरतों और बच्चों को पुलिस थानों में रखा जा रहा है; 10) तलाषी के नाम पर, पुलिस घर तोड़ती है, संपत्ति नश्ट करती है, लूटती है, चोरी करती है, आदि। 11) अदालत में उपस्थित करते समय और/या अदालत से लौटते समय एक साधारण आरोपी को हथकड़ी लगाना या बाँधके लाना; को भी उत्पीड़न समझा जाता है।

3. mRihMu dk f'kdkj fdUgs cuk;k tkrk g\

उत्पीड़न का षिकार कोई भी हो सकता है दृ खासकर सबसे निचला तबका, बच्चे और साथ ही साथ वयस्क भी, जवान या बूढ़े, धार्मिक या नास्तिक, बौद्धिक हो चाहे नहीं। उत्पीड़न के षिकार अकेले नहीं भुगतते। बहुत से मामलों में,

पीड़ितों के परिवारों और मित्रों पर भी प्रभाव पड़ता है। व्यापक समाज पर भी अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ सकता है।

4. mRihMu dk D;k ifj.kke gkrk gS\

उत्पीड़न के परिणाम तत्काल दर्द से कहीं अधिक आगे तक जाते हैं। इससे निम्नलिखित दुश्परिणाम हो सकते हैं:

- ✍ जान का नुकसान
- ✍ जायदाद का नुकसान
- ✍ मानव अंगों का स्थायी/अस्थायी नुकसान
- ✍ गरिमा/स्वाभिमान का नुकसान
- ✍ कानून के राज पर विष्वास का नुकसान
- ✍ लोगों को कानून को अपने हाथ में लेने के लिए प्रेरित करना

बहुत से पीड़ित सदमे के पष्चात भी मानसिक दबाव की अव्यवस्थता से ग्रसित रहते हैं, जिसमें लक्षण जैसे कि पूर्व दष्य (या विचार), तीव्र व्यग्रता, निद्रा का अभाव, दुःस्वप्न, उदासी और याददाष्त की अवनति षामिल हैं। उत्पीड़न के षिकार लोग प्रायः अपराधबोध और षर्म महसूस करते हैं, जो कि उनके द्वारा सहे गए अपमान के कारण उभरते रहते हैं। बहुतों को लगता है कि उन्होंने खुद को या अपने दोस्तों और परिवार को धोखा दिया है। ये सभी लक्षण असामान्य और अमानवीय व्यवहार के खिलाफ सामान्य मानवीय अनुभव हैं।

5 mRihMu ds nks"kh dkSu gksrs gS\

उत्पीड़न और अन्य प्रकार के दुर्व्यवहारों में सम्मिलित हो सकने वाले लोग हैं:

- ✍ पुलिस
- ✍ सेना
- ✍ अर्धसैन्यबल
- ✍ राज्य नियंत्रित विपरीत परिस्थितियों में कार्य करने वाले छापामार दल

पर दोशियों में ये भी सम्मिलित हो सकते हैं:

- ✍ न्यायालय
- ✍ जेल के अफसर
- ✍ मौत की टुकड़ियाँ
- ✍ कोई सरकारी अधिकारी
- ✍ सरकार द्वारा चलायी जाने वाली स्वास्थ्य प्रणाली
- ✍ स्वास्थ्य पेषेवर
- ✍ हिरासत में साथ रहने वाले जो कि सरकारी अधिकारियों की स्वीकषति या उनके आदेषों पर कार्य कर रहे हो
- ✍ हथियारबंद संघर्शों के संबंध में, उत्पीड़न और अन्य प्रकार के दुर्व्यवहार इनके द्वारा भी किये जा सकते हैं:

- विरोधी दलों द्वारा
- आम जनसंख्या द्वारा

6 mRihMu ds f'kdkj 0;fDr ds D;k-D;k vf/kdkj gSa

- उत्पीड़न से बचाव का अधिकार
- षिकायत करने का, बिना किसी पक्षपात के उसकी जाँच करवाने का और षिकायत करने के कारण होने वाली प्रतिक्रिया से बचाव का अधिकार
- एक तेज़ और न्यायसंगत मुकदमे का अधि ाकार
- क्षतिपूर्ति, सही मुआवज़ा, जिसमें कि पुर्नवास भी सम्मिलित है पाने का अधिकार
- दोशियों को सज़ा दिलवाना

7. mRihMu dk dkbZ ekeyk gksus ij vki rRdky D;k djsaxs

- अस्पताल/स्वास्थ्य केंद्र की ओर भागेंगे
- सही चिकित्सा सुविधा सुनिष्चित करवायेंगे।
- घावों को, अंदरुनी और बाहरी-स्वभाव और घावों की अवधि को रिकॉर्ड करेंगे
- दोशियों का नाम लेंगे।

- ✍ घटना की जगह का उल्लेख करेंगे।
- ✍ चिकित्सा-संबंधी रिपोर्ट की एक आधिकारिक प्रतिलिपि प्राप्त करेंगे।
- ✍ परीक्षण करने वाले चिकित्सक का बयान लेंगे जिसमें पीड़ित द्वारा चिकित्सक को दिए कोई भी बयान षामिल हों (जैसे कि जहाँ मरीज चिकित्सक को दोशी की पहचान बताता है, घटना की जगह/समय बताता है, आदि।)
- ✍ पीड़ित द्वारा घटना के वक्त पहने गए किन्हीं भी कपड़ों को अदालती जाँच (फॉरेंसिक) और रासायनिक विष्लेशण के लिए सुरक्षित रखेंगे
- ✍ सबसे करीबी पुलिस थाने में षिकायत दर्ज करेंगे
- ✍ हिरासत में हुई मौत के मामलों में, ये तय करेंगे कि न्यायिक दंडाधिकारी तत्काल जाँच की पहल करे
- ✍ पुलिस की गोलियों से हुई मौतों के मामलों में, ये सुनिष्चित करेंगे कि एक आपराधिक मुकदमे की पहल हो
- ✍ मुठभेड़ में हुई मौतों के मामलों में, ये सुनिष्चित करेंगे कि एक आपराधिक मुकदमे की पहल हो और मुठभेड़ में हुई मौतों के संबंध में राश्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नियमों का पालन हो

8. tc fdlh bUlku dk mRihMu gkrk g rk ml fdu ikf/kdj.kk d ikl tkuk pkfg,\

जब किसी इंसान को उत्पीड़ित किया जाता है, तो आप इस रुप में आगे बढ़ सकते हैं:

- ✍ दोशियों के खिलाफ पुलिस थाने में षिकायत दर्ज करिए, जैसा कि आपराधिक दंडविधि 154 में दिया गया है। अगर षिकायत नहीं दर्ज की जाती है, तो उसे उस जिले के एसपी तक पहुँचाइए।
- ✍ इसके अतिरिक्त, एक न्यायिक दंडाधिकारी के सम्मुख एक षिकायत दर्ज करवाना भी संभव है। न्यायाधीष उस षिकायत की जानकारी लेकर उसके मुताबिक कार्य कर सकते हैं, जैसा कि आपराधिक दंडविधि 190 में दिया गया है।
- ✍ न्यायालय के सम्मुख एक निजी षिकायत दर्ज करने की पहल करिए।
- ✍ अगर उत्पीड़न किसी पुलिस हवालात में हुआ है, तो उसे संबंधित न्यायाधीष के सम्मुख पेष करिए और अदालत के सामने अपने घावों को दर्षाइये।

- आप संबंधित उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में भी एक रिट् याचिका दाखिल कर सकते हैं।
- अगर कोई कदम नहीं उठाया जाता है, तो उपयुक्त आयोग के सामने एक षिकायत दर्ज करिएः राश्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, एस एच आर सी , महिला आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, आदि।
- ऐसे प्राधिकरणों के पास जाईए ताकि ये सुनिष्चित किए जा सके कि उत्पीड़न के षिकार व्यक्ति को उसके द्वारा सहे गए सदमे के खिलाफ सही मनोवैज्ञानिक समर्थन प्राप्त हो सके।
- एक स्थानीय मानवाधिकार संगठन के पास इनमें से किन्हीं भी मामलों में सहायता के लिए जाईए।

9. mRihMu d f'kdkj fdlh 0;fDr d iqufuZo'ku d fy, D;k fd;k tk ldrk g\

पुनर्निवेषन का मकसद होता है उत्पीड़न के षिकार व्यक्तियों को षक्तिषाली बनाना ताकि वो जितना संभव हो सके उतनी पूरी ज़िंदगी जी सके। उत्पीड़न के षिकार व्यक्तियों के पुनर्निवेषन के लिए उनकी ज़रुरतों को और बड़े संदर्भ में संबंधि

ात करने की ज़रुरत होती है। सुनिष्चित करिए कि उत्पीड़न के षिकार लोगों को पुर्नर्निवासन केंद्रों में ले जाया जाए जो कि कई किस्म की अनुषासन संबंधी सहायता और परामर्ष दे जिसमें सम्मिलित हैं:

- चिकित्सा-संबंधी ध्यान और मनष्चिकित्सकीय इलाज
- मानसिक इलाज और मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सहारा
- कानूनी सेवाएँ प्रदान करना, हक वापस करवाना और उपचार करना
- समाज में दोबारा से एकीकरण कराना

अगर आप उत्पीड़न के किसी मामले के संबंध में आते हैं, कष्ष्या उसे हमारे नज़र में लाईए। हमारे संपर्क के विवरण इस पुस्तक के अंत में दिए गए हैं।

10. mRihMu ds f'kdkj 0;fDr;ksa dh lqj{kk ds fy, mPpre U;k;ky; us D;k vko';d Qsly fd, gS\

उच्चतम न्यायालय के ये कुछ निम्नलिखित फैसले हैं जो उत्पीड़न के षिकार व्यक्तियों की रक्षा करते हैं:

- हर गैरकानूनी कैद चाहे कितनी भी अवधि के लिए ही क्यों न हो, ़और हिरासत में हुई हिंसा,

चाहे कितनी भी मात्रा या विस्तार में क्यों न हो, वो स्पश्ट रुप से दण्डनीय है और उसी मुताबिक उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। ऐसे उल्लंघन का इलाज नागरिक कानून और आपराधिक कानून में उपलब्ध है। (सूबे सिंह बनाम हरियाणा और और अन्य राज्य , ए आई आर 2006 एस सी 1117)

- गिरफ्तारी पर विस्तष्त दिषार्निदेष (डी के बसु बनाम पष्चिम बंगाल राज्य, ए आई आर 1997 एस सी 610)
- उत्पीड़न सिर्फ षारीरिक नहीं होता; गणना करके मानसिक उत्पीड़न और मनोवैज्ञानिक उत्पीड़न भी किया जा सकता है ताकि डर पैदा करके अपनी माँगों और आज्ञाओं के सामने झुकने को मजबूर किया जा सके। जब धमकियाँ प्राधि ाकरण के किसी व्यक्ति की तरफ से आती है और वो भी किसी पुलिस अफसर की तरफ से तो उससे होने वाला मानसिक उत्पीड़न और भी अधिक क्षतिपूर्ण होता है। (अरविंदर सिंह बग्गा बनाम उत्तर प्रदेष राज्य, ए आई आर 1995 एस सी 117)

- ✍ जब राज्य या उसका कोई सेवक अपनी षक्तियों का बेजा इस्तेमाल करते हुए मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं, तो पीड़ित व्यक्ति संविधान के धारा 32 ंऔर 226 के अंतर्गत आने वाले सामाजिक कानून में सुधार का सहारा लेकर मौलिक अधि ाकार को लागू करवाने का दावा कर सकता है। (श्रीमती नीलाबती बेहेरा / ललिता बेहेरा बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य , ए आई आर 1983 एस सी 1960)।
- ✍ अदालत ने विचाराधीन और सज़ायाफ्ता कैदियों के कानूनी मदद पाने के अधिकार को पुनरुक्त किया और उच्चतम न्यायालय के द्वारा जारी किए गए कुछ निर्देषों को रखा जिनके मुताबिक जेल में बंद कैदियों को तेज़ और प्रभावषाली कानूनी सहायता दी जा सके ंऔर जिससे हवालातों में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जा सके। (सीला बरसे बनाम महाराश्ट्र राज्य, ए आई आर 1983 एस सी 378)

- ✍ जेल की दीवारों के अंदर उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार (फ्रांसिस कोरेली मुलिन बनाम दिल्ली संघ षासित प्रदेष, ए आई आर 1981 एस सी 746)

- ✍ राज्य, सबसे ऊँचे प्रषासनिक और राजनैतिक स्तरों पर, खास किस्म की नीतियाँ तय करेगा ताकि पुलिस के तरीकों से होने वाले क्रूरता को रोका जा सके और उसको सज़ा दी जा सके। (रघुवीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य, ए आई आर 1980 एस सी 1087)

- ✍ हथकड़ी लगाना नियमित नहीं किया जा सकता। वो सिर्फ न्यायोचित आधार पर ही किया जा सकता है और साथ चलने वाले अफसर को संबंधित न्यायिक अफसर की सहमति लेनी होगी। (प्रेम षंकर बनाम दिल्ली प्रषासन, ए आई आर 1980 एस सी 1535)।

- ✍ बंदीगष्ह में अकेले बंद रखना असंवैधानिक है (सुनील बतरा बनाम दिल्ली प्रषासन, (।), ए आई आर 1978 एस सी 1675)।

11. mRihMu d f[kykQ fojk/k dju d fy, vki dl dne mBk ldr g\

✍ संप्रदाय के समूहों, महिलाआ संगठनों, धार्मिक समुदायों, मज़दूर संघों, मानव अधिकार संगठनों और दूसरों के साथ मिलकर मुहिम संगठित करें, ताकि उत्पीड़न को रोकने के लिए तीव्र कार्रवाई की जा सके।

✍ सुनिष्चित कीजिए कि उत्पीड़न की षिकायतों की जाँच हो और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को सज़ा दिलवायी जा सके।

✍ क्षतिपूर्ति के लिए कदम उठाईए, जिसमें कि उत्पीड़ित लोगों के मुआवज़े और पुनर्निवासन की भी व्यवस्था हो।

✍ सुनिष्चित कीजिए कि रिष्तेदारों, वकीलों और चिकित्सकों को कैदियों से मिलने की छूट हो और हिरासत में रखे गए सभी लागों को बिना देर किए न्यायाधीष के सामने पेष किए जाए।

List of Addresses

National Project on Preventing Torture in India

National Office:

People's Watch

6, Vallabai Road, Chokkikulam,

Madurai 625 002 Tamil Nadu

Ph: +91-452-2531874, 2539520

Fax: +91-452-2539520

E-Mail: no2torture@pwtn.org,

Website: www.pwtn.org

State Offices:

S.No.	State Name	Address	User ID/official
1.	Andhra Pradesh	Door. No: 6-1-69/4/2 Lutheran Church Road, Lakdi-Ka-Pool, Hyderabad-500 004 Andhra Pradesh	ap@pwtn.org
2.	Bihar	L-1/1, Shri Krishna Puri, Patna – 800 001, Bihar	bihar@pwtn.or g

S.No.	State Name	Address	User ID/official
3.	Karnataka	C/O SICHREM No –35, Ground Floor, Anjanappa Complex, Hennur Main Road, Lingarajapuram, Bangalore – 560 084 Karnataka	karnataka@pwtn.org
4.	Kerala	3/354, Chirathara, Muttada P O, Trivandrum-695 025 Kerala	kerala@pwtn.org
5.	Orissa	294 – A, Ground Floor, Sahid Nagar, Bhubaneswar – 751 007 Orissa.	orissa@pwtn.org
6.	Rajasthan	Sasvika Sangatan, Sameeksha Campus, Near Pavansuth Colony, Opp. T.T. College, Jaipur Road, Mirshali, Ajmer – 305 001 Rajasthan	rajasthan@pwtn.org
7.	Tamil Nadu	6, Vallabai Road, Chokkikulam, Madurai-625 002 Tamil Nadu	tamilnadu@pwtn.org
8.	Uttar Pradesh	S-6/ 25-26, Police Line, Pakki Bazar, Varanasi-221 002 Uttar Pradesh.	up@pwtn.org
9.	West Bengal	C/O MASUM, 26, Guitendal Lane, Howrah – 711 001 West Bengal	masumindia@pwtn.org

National and State Human Rights Institutions

1) National Human Rights Institutions

National Human Rights Commission
Faridkot House,Copernicus Marg,
New Delhi-110001, Ph: 011 – 23382747
Fax No: 011 – 23384863(Admn) 23386521(Law)
For Complaints-filing /status, General queries
MADAD : 91-11-23385368 Mobile: +919810298900
E.Mail: nhrc@ren.nic.in Website: www.nhrc.nic.in

National Commission for Women
4, Deen Dayal Upadhayaya Marg,
New Delhi-110 002.
Ph: 91-11-23237166, 91-11-23236988
Fax : 91-11-23236154
Complaints Cell : 91-11-23219750
Email :ncw@nic.in Website : www.ncw.nic.in

National Commission for SC's
National SC Commission, 5th Block, 11th Floor,
Lok Nayak Bhavan, New Delhi – 110 003.
Phone No : 011 – 4620969
Fax No : 011 – 4625378

National Commission for ST's
The Director, National Commission for Scheduled Tribes,
91, Satya Nagar, Bhubaneshwar – 751 007, Orissa State.

National Commission for Minorities
5th Floor, Lok Nayak Bhavan,
Khan Market,
New Delhi -110 003
Fax : 011-24693302, 24642645, 24698410
Website: www.ncm.nic.in

2) State Human Rights Commissions(SHRC)

Andhra Pradesh

The Chairperson
"Gruhakalpa", M.J. Road,
Hyderabad-500001,
E-Mail: aphumanrights@ap.nic.in.
Tele(o):24601571, Fax:24601573,
E-Mail:aphumanrights@ap.nic.in.

Assam

The Chairperson,
h.o. Building, Bhangagarh,
Guwahati – 781005.
STD: 0361, Fax: 2529450/2527076,
E-Mail: hrca@sancharnet.in.

Chhattisgarh

The Chairperson Near Mantralaya,
Raipur-492001. STD: 0771,
Fax: 2235590,
E-Mail: cghrcryp@sify.com.

Himachal Pradesh
The ChairpersonPines grove Building, Shimla-171002,
STD: 0177, Fax: 224908.

Jammu&Kashmir
The ChairpersonDawn building, Dalgate, Srinagar-119001.
STD: 0194, Fax: 454046, Tele(o):2481802, 2454046,
Fax:2454046.

Kerala
The ChairpersonM.P. Appan Road, Vazhuthacaud,
Thiruvananthapuram-695014
Tele(o): 0471-2337145 Fax: 0471-2337148, E-Mail: kshrctvpm@vsnl.net.

Madhya Pradesh
The ChairpersonParyavas Bhawan, Arera Hills, Jail Road,
Bhopal-462001, STD: 0755, Tele(o):2764505,
Fax: 574028, E-Mail: mphrc@sancharnet.in,

Manipur
The ChairpersonCourts complex, Lamphel, Imphal - 795004, STD: 0385, Fax: 2410472, E-Mail: mhrc@man.nic.in.

Maharashtra
The Chairperson 9, Hajarimal Somani Marg, Near CST Railway Station, Mumbai-400001. Fax: 022-2885858, 22091804.Tele(o):22071155/22073434

Orissa

The Chairperson Orissa State Guest House, Room No. 1,2,3,4 Ground Floor, Bhubaneswar, Orissa. Tele(o): 0674-23611334, FAX:0674-2405094

Punjab

The Chairperson SCO NO. 20-21-22, Sector 34A, Chandhgarh, Tele(o): 0172-2608520, Fax: 0172-2608520,

Rajasthan

The Chairperson State Secretariat, Jaipur, Tele(o):): 0141-2227868 Fax: 2227738, E-Mail: rshrc@raj.nic.in.

Tamil Nadu

The Chairperson Thiruvarangam Maligai,143, P.S. Kumaraswamy Raja Salai,Greenways Road, Chennai - 600 028.

Uttar Pradesh

The Chairperson 1/183, Vineet Khand, Gomati Nagar, Lucknow – 226010. Tele(o):0522-2726742 , Fax: 0522-2726743, E-Mail: uphrc@sancharnet.net.

West Bengal

The Chairperson Bhabani Bhavan, Alipore, Kolkata-700027, Tele(o): 033-24797259, Fax: 033-24799633, E-Mail: wbhrc@cal3.vsnl.net.in